REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 1830]
 नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2018/ज्येष्ठ 01, 1940

 No. 1830]
 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2018/JYAISHTHA 01, 1940

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

**का.आ. 2023(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
527	516C	आंध्र प्रदेश राज्य में सब्बावरम बाईपास पर एनएच -16 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होने वाला अमृतपुरम, नारव, सथिवानी पालेम, गोपालपट्टनम ग्रामीण को जोड़ते हुए और शीलानगर के निकट समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/27/2014-पी एंड एम (पार्ट-7)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और तत्पश्चात संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 1466(अ), दिनांकित 03.04.2018 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2018

**S.O. 2023** (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Sl. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
527	516C	The highway starting from its junction with NH-16 at Sabbavaram bypass connecting Amruthapuram, Narava, Sathivani palem, Gopalpatanam rural and terminating near Sheelanagar in the State of Andhra Pradesh.

[F. No. NH-14012/27 /2014 -P&M(pt-7)

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote:— The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted *vide* notification number S.O. 689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 publised in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended *vide* notifications number S.O.1466(E), dated 03.04.2018.